

<p>तारीख हृदय</p>	<p>हृदय या कार्यवाही पर इतिहासिक नम्र</p>	<p>पत्रावली तारीख वें</p>
<p>2-01/18</p>	<p>पत्रावली क्रमांक 357 पत्रावली नं. 357/18 दिनांक 01/10/15 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी</p>	
<p>31-1/18</p>	<p>अतिवृत्ता पक्षकारान उपस्थित है। पत्रावली गत आदेशिका के अनुसार दिनांक 31-1-18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी टोक</p>	
<p>3-4/18</p>	<p>अतिवृत्ता पक्षकारान उपस्थित है। पत्रावली गत आदेशिका के अनुसार दिनांक 3-4-18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी टोक</p>	
<p>26-04/18</p>	<p>पत्रावली प्रार्थी/अप्रार्थी उप/अनुपत्रावली राजस्व लोक अदालत प्रा. सं. 27/18/18 में दिनांक 27/4/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, टोक</p>	
<p>28/1/18</p>	<p>पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत केम्प-दाखिया में पेश हुयी। पक्षकारान अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 01.10.2015 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है। प्रकरण प्रतिवादी संख्या-4 के जवाब हेतु विचाराधीन है। शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जा चुकी है। कई अवसर दिये जाने पर भी अप्रार्थी सं. 4 द्वारा जवाब पेश नहीं किया जा रहा है। अतः प्रतिवादी का जवाब बन्द किया जाता है। पत्रावली पर उपस्थित साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शमार होकर नम्बर से कम हो तथा मूल वाद में शामिल की जावे। उपखण्ड अधिकारी, टोक (पिकी मीणा) आरएएस</p>	

उपखण्ड अधिकारी, टोक  
लोक अदालत केम्प-दाखिया